भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 452

सोमवार, 5 फरवरी, 2024/16 माघ,1945 (शक) को उत्तर दिए जाने के लिए

केरल द्वारा ऋण लेने पर लगाया गया प्रतिबंध

452. श्री एम.के. राघवन:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार के पास देश के अन्य राज्यों की तुलना में केरल के कुल ऋण से संबंधित कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग)क्या सरकार ने देश के किन्हीं अन्य राज्यों के लिए उधार लेने की सीमा को सीमित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत केरल राज्य सरकार को अपेक्षित सभी निधियां प्रदान कर दी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने केरल राज्य सरकार को सूचित किया है कि अपेक्षित दस्तावेज दाखिल करने में व्यपगत हो जाने के कारण राज्य को निधियां नहीं दी जाएंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग):15वें वित्त आयोग (XV-एफसी) की सिफारिशों के आधारपर, केरल सहित सभी राज्यों की सामान्य निवल उधार लेने की सीमा (एनबीसी) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3 प्रतिशत निर्धारित की गई है। तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केरल राज्य की सामान्य (एनबीसी) 32,422 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है। इसके अलावा केरल राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में राज्य और उसके कर्मचारियों के अंशदान के अनुमानित

संयुक्त हिस्से के बराबर 1,787.38 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई है जिसे वास्तव में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार नामित प्राधिकारी के पास जमा किया जाना है। इसके अतिरिक्त, केरल राज्य सरकार विद्युत क्षेत्र में कतिपय कार्य निष्पादन मानदंडों के आधार पर 5,407 करोड़ रुपए तक की राशि की जीएसडीपी के 0.50 की अतिरिक्त उधारी लेने के लिए भी पात्र है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अधीन सभी राज्य सरकारों की वार्षिक उधार लेने की सीमा निर्धारित करते समय केन्द्र सरकार एक सामान्य मानदंड लागू करती है। ऐसा करने में, यह वित्त आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

भारतीय रिजर्व बैंक की 'राज्य वित्तः वर्ष 2023-24 के बजट का एक अध्ययन' शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 2022, मार्च, 2023 (सं.प्रा.) तथा मार्च, 2024 (ब.प्रा.) के अंत में केरल सहित राज्य सरकारों की कुल बकाया देनदारियों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ): व्यय विभाग 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सहायता अनुदान जारी करता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.02.2021 को नोडल मंत्रालयों से प्राप्त सिफारिशों तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई से संबंधित स्पष्टीकरण ज्ञापन के माध्यम से स्वीकार किया गया है। 15वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के दौरान केरल राज्य सरकार को जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपए में**)**

		वर्ष		
क्र. सं.	अनुदान	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24** (31.01.2024 **तक**)
1.	अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान	19891.00	13174.00	3957.50
2.	राज्य आपदा मोचन निधि में संघ का हिस्सा (एसडीआरएफ)	251.20	264.00	138.80
3.	राज्य आपदा मोचन कोष में केन्द्र का हिस्सा	62.80	0.00	66.00
4.	शहरी स्थानीय निकाय अनुदान	336.00	604.00	348.81
5.	ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान	1203.00	1246.00	630.00
6.	स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान	427.13	94.30	458.03
	कुल योग **(1+2+3+4+5+6)**	**22171.13**	**15382.30**	**5599.14**

दिनांक 05.02.2024 के लिए लोकसभा लिखित प्रश्न सं. 452 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

मार्च, 2022, मार्च, 2023 (सं.प्रा.) और मार्च, 2024 (ब.प्रा.) के अंत में राज्य सरकारों की कुल बकाया देनदारियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2022 (वास्तविक)	2023 (स.प्रा.)	2024 (ब.प्रा.)
आंध्र प्रदेश	3,80,548.5	4,28,715.7	4,85,490.8
अरूणाचल प्रदेश	15,924.6	18,850.4	21,654.2
असम	1,02,366.3	1,26,281.4	1,50,900.4
बिहार	2,57,634.7	2,93,850.5	3,19,618.3
छत्तीसगढ़	1,06,451.1	1,09,664.1	1,22,164.1
गोवा	29,209.2	30,743.2	34,758.4
गुजरात	3,88,582.8	4,21,018.2	4,67,464.4
हरियाणा	2,79,453.3	3,05,586.9	3,36,253.0
हिमाचल प्रदेश	73,541.4	86,639.2	94,992.2
झारखंड	1,13,568.1	1,18,855.5	1,31,455.6
कर्नाटक	5,03,987.7	5,35,408.1	5,97,618.4
केरल	3,60,036.9	3,89,312.3	4,29,270.6
मध्य प्रदेश	3,25,193.0	3,65,624.4	4,18,056.0
महाराष्ट्र	6,06,407.1	6,53,197.0	7,22,887.3
मणिपुर	15,334.0	17,376.4	19,245.8
मेघालय	16,927.6	18,845.1	20,029.9
मिजोरम	10,953.7	12,880.0	14,039.3
नागालैंड	15,834.5	17,085.2	18,165.8
ओडिशा	1,39,002.4	1,29,872.9	1,20,986.9
पंजाब	2,84,923.2	3,16,346.1	3,51,130.2
राजस्थान	4,63,832.8	4,99,529.0	5,62,494.9
सिक्किम	11,482.2	13,331.4	15,529.5
तमिलनाडु	6,67,974.9	7,41,497.7	8,34,543.5
तेलंगाना	3,14,852.9	3,52,061.0	3,89,672.5
त्रिपुरा	22,438.6	23,360.5	26,505.8
उत्तर प्रदेश	6,46,321.3	6,93,577.1	7,69,245.3
उत्तराखंड	78,952.1	80,120.4	89,466.0
पश्चिम बंगाल	5,48,235.9	5,96,725.2	6,58,426.2

स्रोतः आरबीआई की 'राज्य वित्तः वर्ष 2022-23 के बजट का एक अध्ययन' शीर्षक वाली रिपोर्ट

******